



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237598
CG-DL-E-27072022-237598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3251]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3251]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3413(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 का विजयवाड़ा- मछलीपट्टनम खंड के एक हिस्से के रूप में निर्माण (चौड़ा करने/4/6-लेन बनाने आदि) प्रबंधन और संचालन, रखरखाव के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

आंध्र प्रदेश जिला (गठन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 7) के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के गजट भाग I, असाधारण संख्या 484, G.27, दिनांक 03.04.2022 के तहत, नए एन.टी.आर. जिला के गठन के परिणामस्वरूप, दिनांक 30 नवंबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 3 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 5969(अ) को अमान्य माना जाता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर कि. मी. 1095.600 से कि. मी. 1098.500 तक भूमि का अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम							
1	2	3	4	5	6	7							
1	सब-कलेक्टर, विजयवाड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के कि.मी. 1095.6 से 1098.5 तक	आंध्र प्रदेश	एनटीआर	<table><tr><td rowspan="3">विजयवाड़ा पूर्व</td><td>1</td><td>विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)</td></tr><tr><td>2</td><td>पाटमटा</td></tr><tr><td>3</td><td>गुनादला</td></tr></table>		विजयवाड़ा पूर्व	1	विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)	2	पाटमटा	3	गुनादला
विजयवाड़ा पूर्व	1	विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)											
	2	पाटमटा											
	3	गुनादला											

[फा. सं. NHAI/PIU-VIJ/11080 (EBCFO)/LA/NH-16/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S. O. 3413(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, District, Taluks and Villages mentioned in column (4), (5), (6) & (7) respectively of the said Schedule as a part of Vijayawada – Machilipatnam Section of NH-65 for building (widening / 4/6-laning etc.) maintenance, management and operation in the State of Andhra Pradesh.

Consequent to formation of new N.T.R. District vide Government of Andhra Pradesh Gazette Part-I, Extraordinary No. 484, G.27, dated 03.04.2022 as per Andhra Pradesh District (Formation) Act, 1974 (Act No.7 of 1974), the Notification S.O. 5969 (E), dated 30th November, 2018, published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd December, 2018, stands invalid.

SCHEDULE

Acquisition of land in the stretch from Km. 1095.600 to Km. 1098.500 on NH-16 in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Sub-Collector, Vijayawada	1095.6KM To 1098.5KM	ANDHRA PRADESH	NTR	Vijayawada East	<table><tr><td>1</td><td>Vijayawada Town (VMC)</td></tr><tr><td>2</td><td>Patamata</td></tr><tr><td>3</td><td>Gunadala</td></tr></table>	1	Vijayawada Town (VMC)	2	Patamata	3	Gunadala
1	Vijayawada Town (VMC)											
2	Patamata											
3	Gunadala											

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11080 (EBCFO)/LA/NH-16/2022]

RAJESH GUPTA, Director